निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 121/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

जगदीश पुत्र श्री छोटू जाति माली निवासी करवा कृषि फार्म, मालियों की ढाणी, ग्राम चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती अरश दीप बराड पीठासीन अधिकारी सहायक कलटर जयपुर प्रथम ।
2. रामनारायण पुत्र महादेव जाति माली निवासी ग्राम बांसा विजयसिंहपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. गिरधारी लाल शर्मा पुत्र श्री नारायण शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी बडपीपली स्टेण्ड, ग्राम नीदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
4. अशोक कुमार पुत्र रामरतन
5. कुमारी संगीता पुत्री स्व॰ रामस्वरूप
6. चेतन पुत्र स्व॰ रामस्वरूप
7. रिंकू पुत्र स्व॰ रामस्वरूप
8. अर्जुन पुत्र स्व॰ रामस्वरूप

   समस्त जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, तन ग्राम चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
9. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
10. तहसीलदार आमेर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर में लम्बित वाद संख्या 30/2018 ब उनवानी जगदीश बनाम रामनारायण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु।

उपस्थितः–

1. श्री बिजेन्द्र सिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से है।

निर्णय दिनांक 13.09.2021

जिला कलक्टर जयपुर

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष वाद संख्या 30/2018 दावा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा ब

उनवानी जगदीश बनाम रामनारायण व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह राठौड ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 एवं एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 सी पी सी का पेश किया था। जिसका प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.07.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 28.07.2021 को निर्णय पारित कर उक्त दोनों प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय से उक्त निर्णय दिनांक 28.07.2021 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया जाकर उक्त प्रकरण में नजदीक की तारीख पेशी नियत कर दी गई तथा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कहा गया कि मै इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करूंगी । आपको जो करना है वह कर लो जिस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 ने प्रार्थी को ग्राम में धमकी दी कि हमारी ए सी एम साहब से बात हो चुकी है जिस पर ए सी एम साहब दावे में आगामी तारीख पेशी पर नियत कर दावे का अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 के हक में निस्तारित कर देंगे। अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 ने पुनः प्रार्थी को धमकी दी कि अब जल्दी ए सी एम साहब तुम्हारा दावा खारिज कर देंगे। हमारी उनसे बात हो चुकी है। इस पर प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्य चकित हो गई कि ये कैसे हुआ। जब अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना सम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी के वाद अधीन भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थी के दावो को खारिज करा देंगे तो वो अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगे। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को अन्य न्यायालय में हस्तानान्तरण किया जाना आवश्यक है । न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। इसी सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नहीं होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में

जिला कलक्टर
जयपुर

स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः न्यायहित में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी जगदीश द्वारा वाद बाबत घोषणा तकारमा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मुकाम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार परिवर्तित होने की वजह से उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष स्थानान्तरित किया गया और उक्त प्रकरण में नियमित कार्यवाही चल रही थी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष उक्त विचाराधीन प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी श्री बलदेवराम धोजक से न्याय की उम्मीद ना होने की वजह से माननीय न्यायालय के समक्ष एक स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 6/2018 प्रस्तुत किया गया है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 1.05.2018 को उक्त पत्रावली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर से न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के समक्ष स्थानान्तरित किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के समक्ष उक्त प्रकरण नियमित कार्यवाही के दौरान ही प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर श्री प्रियवृत सिंह चारण के विरूद्व पुनः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 169/2018 को अपने निर्णय दिनांक 26.02.2019 द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य होने की वजह से खारिज फरमा दिया। न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष उक्त प्रकरण नियमित कार्यवाही के दौरान ही प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर श्री मुकेश मीणा के विरूद्व पुनः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 49/2019 को अपने निर्णय दिनांक 4.7.2019 द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज फरमा दिया। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2019 के विरूद्व प्रार्थी जगदीश द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण संख्या 2019/3342 ब उनवानी जगदीश बनाम मुकेश मीणा को भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 10.10.2019 को खारिज फरमा दिया। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण से जिरह की कार्यवाही नही की जा कर केवल मात्र प्रकरण को विलम्ब करने एवं अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के उद्वेश्य मात्र से बार बार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है जो विशेष हर्जे व खर्चे सहित निरस्त किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें ।

6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि वादी इस वाद में कभी साक्ष्य न करवा कर, कभी जिरह न कर व कभी स्वंय अधिवक्ता उपस्थित न हो कर अपने कनिष्ट अधिवक्ता को भेज कर केवल तारीख ही नोट कर अनावश्यक देरी कर रहा है। प्रतिवादी लगातार हर पेशी पर अपने साक्ष्य जिरह हेतु वादी का इन्तजार करते है परन्तु वादी द्वारा किसी न किसी कारण जिरह नहीं की जा रही है। प्रकरण में पूर्व में भी कई बार देरी करने के उद्वेश्य से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किये जा चुके है। फिर भी प्रकरण का अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलक्टर
जयपुर

9. प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 17.08.2019 को उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर से न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को स्थानान्तरित की गई है। इसके पश्चात प्रार्थी द्वारा दूसरा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र 28.02.2019 को प्रभाव शून्य होने से खारिज किया गया है। तत्पश्चात अप्रार्थी द्वारा पुन प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 04.07.2019 को खारिज किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2019 को खारिज किया गया है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। बल्कि प्रार्थी ही प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने के उद्देश्य से बार बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनाक 13.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

13/9/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर